

न्यायालय जिला कलक्टर, भरतपुर

अपील / आरटीआई / 26 / 2021

महेन्द्रपाल सिंह द्वारा राजो सिंह गुर्जर अरावली आई0टी0आई के पास उपला सोनावा, अलवर।

बनाम

तहसीलदार, नगर (अन्तरण द्वारा उपखण्ड अधिकारी नगर)।

अपील अन्तर्गत सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

आदेश


दिनांक 15.04.2021

अपीलार्थी की यह अपील सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत प्रस्तुत है। प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि महेन्द्रपाल सिंह द्वारा राजो सिंह गुर्जर अरावली आई0टी0आई के पास उपला सोनावा, अलवर ने सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत जरिये प्रार्थना पत्र दिनांक 04.01.2021 उपखण्ड अधिकारी, नगर से सूचना चाही गयी थी। उपखण्ड अधिकारी, नगर द्वारा सूचना उपलब्ध नहीं कराये जाने के कारण यह अपील पेश की गई है।

अपील दर्ज रजिस्टर की गई। इस कार्यालय के पत्र क्रमांक/कोर्ट/251 दिनांक 17.03.2021 के द्वारा उपखण्ड अधिकारी, नगर से प्रार्थी को सूचना उपलब्ध नहीं कराये जाने बाबत रिपोर्ट तलब की गई। लोक सूचना अधिकारी उपखण्ड अधिकारी नगर से कोई जबाब प्राप्त नहीं हुआ है। इनके स्थान पर तहसीलदार नगर के पत्रांक 60 दिनांक 24.03.2021 से जबाब प्राप्त हुआ है जो कि संलग्न मिसिल किया गया। स्पष्ट है कि अपीलान्त का आवेदन उपखण्ड अधिकारी नगर द्वारा तहसीलदार नगर को अन्तरण किया गया है।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। तहसीलदार नगर द्वारा अपने जबाब पत्रांक 60 दिनांक 24.03.2021 में अंकित किया है कि अपीलान्त द्वारा चाही गई सूचना उनके कार्यालय पत्रांक/आरटीआई/2021/57 दिनांक 19.03.2021 से अपीलान्त को प्रेषित की जा चुकी है। तहसीलदार नगर द्वारा अपने जबाब की पुष्टि में अपीलान्त को भेजी गई सूचना पत्र क्रमांक 57 दिनांक 19.03.2021 की प्रति भी संलग्न की है। जाहिर है कि तहसीलदार नगर द्वारा अपीलान्त को वांछित सूचना उपलब्ध करा दी गई है।

अस्तु अपील अपीलान्त खारिज की जाती है। निर्णय की प्रति अपीलार्थी को (तहसीलदार नगर से प्राप्त पत्रादि की प्रति संलग्न कर) प्रेषित की जावे। निर्णय की प्रति उपखण्ड अधिकारी नगर/तहसीलदार नगर को भी भेजी जावे।



(हिमांशु गुप्ता)
जिला कलक्टर
भरतपुर